न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 125 / 2019
निर्णय दिनांकः– 08.01.2021

उनवान

हेमराज पुत्र श्रवण लाल जाति कुमावत निवासी रसूलपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)
– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री सुरेन्द्र धाकड़ वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 10 ख0न0 206 / 484 रकबा 1.10, ख0न0 311 रकबा 0.06, ख0न0 38 रकबा 0.04, ख0न0 39 / 489 रकबा 0.25, ख0न0 40 रकबा 0.28, ख0न0 41 रकबा 0.43 कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम रसूलपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी की जाति कुमावत है, जो कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह, बैक बचत खाता व अन्य दस्तावेजात से प्रमाणित है। परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे सहवन से प्रार्थी की जाति के स्थान पर कुम्हार अंकित हो गया है। जिसके कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य पर विकय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 10 ख0न0 206 / 484 रकबा 1.10, ख0न0 311 रकबा 0.06, ख0न0 38 रकबा 0.04, ख0न0 39 / 489 रकबा 0.25, ख0न0 40 रकबा 0.28, ख0न0 41 रकबा 0.43 कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम रसूलपुरा तहसील उनियारा मे प्रार्थी की जाति कुम्हार के स्थान पर कुमावत दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी हेमराज पुत्र श्रवण का खाता संख्या 12 ग्राम हनोतियां मे है जो हेमराज की खातेदारी मे है, जिसमे मुताबिक रिकार्ड जाति कुमावत है। ग्राम रसूलपुरा खाता संख्या 10 मे कुम्हार के स्थान पर कुमावत किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069—2073 खाता संख्या 10 मे वर्णित आराजीयात ख0न0 206/484, 311 , 38, 39/489, 40, 41 कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 है0 मे हेमराज पुत्र श्रवण हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार उनियारा के द्वारा प्रार्थी की जाति कुम्हार के स्थान पर कुमावत किये जाने की अभिशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 206/484, 311 , 38, 39/489, 40, 41 कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 है0 मे हेमराज पुत्र श्रवण हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार के स्थान पर हेमराज पुत्र श्रवण हिस्सा 1/6 जाति कुमावत दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा